भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 934

जिसका उत्तर 19.09.2020 को दिया जाना है

भारत में सड़क दुर्घटनाएं

934 श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसके अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ख) सरकार द्वारा युवाओं में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरुकता लाने के लिए क्या पहल की गई हैं और क्या ये पहल सफल रही हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह)

(क): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2016 के दौरान भारत में 2,99,091 सड़क यातायात घातकताओं का अनुमान लगाया है। तथापि, डब्ल्यूएचओ का अनुमान सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली घातकताओं की वास्तविक संख्या का संकेत नहीं देता हैं, क्योंकि उनका अनुमान सांख्यिकीय आंकलन और कई अन्य कारकों पर आधारित हैं। कुछ कारकों में देश की कुल जनसंख्या, प्रति 1000 व्यक्ति कुल वाहनों की संख्या, प्रति 1000 हेक्टेयर कुल सड़कें (किमी), ग्रामीण और शहरी सड़कों पर अधिकतम राष्ट्रीय गति सीमा (किमी / घंटा), उपलब्ध स्वास्थ्य प्रणाली पहुंच, शराब का स्पष्ट सेवन, कामकाजी आबादी, कुल वाहनों का प्रतिशत, जो मोटरबाइक हैं, भ्रष्टाचार सूचकांक का नियंत्रण, राष्ट्रीय नीतियों की मौजूदगी, जो पैदल चलने और / या साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करते हैं इत्यादि हैं।

(ख): मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें शामिल हैं:

संसद द्वारा पारित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यातायात उल्लंघन के लिए दंड में बढ़ोतरी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, नाबालिग चालकों के लिए बढ़ायी गयी शास्तियां, वाहन फिटनेस और ड्राइविंग परीक्षण का कम्प्यूटरीकरण / स्वचालन, दोषपूर्ण वाहनों को सड़क से हटाना, परपक्ष बीमा को सुव्यवस्थित करना और हिट एंड रन मामलों के लिए बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान आदि शामिल हैं। इस संशोधन से सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और मौतें कम करने के लिए कानून को मजबूत किया गया है।

मंत्रालय ने शिक्षा**,** इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों की)**,** प्रवर्तन और आपात देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार**,** मंत्रालय द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न पहलें की गई हैं:

(i) **शिक्षा:**

- मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एनजीओ आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर प्रचार उपाय करने और जागरूकता अभियान चलाने की एक योजना कार्यान्वित की है।
- जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।
- भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) में सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

(ii) **इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों की)**

- **सड़क इंजीनियरिंग**
  - राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना प्रवण स्थानों) की पहचान और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता।
  - सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन बनाने की सीमा **15,000** यात्री कार इकाइयों (पीसीयू) से घटाकर **10,000** पीसीयू कर दी गई है।
  - मंत्रालय ने पहचान किए गए सड़क दुर्घटना के ब्लैक स्पॉट्स का सुधार करने के लिए विस्तृत प्राक्कलनों में तकनीकी स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकार सौंपे हैं।
  - राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिव्यांगजनों के पैदल चलने की सुविधा के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

- **वाहन इंजीनियरिंग:**
  - ऑटोमोबाइल के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया गया है।
  - मंत्रालय ने सभी परिवहन वाहनों में गति सीमा उपकरण लगाने को अधिसूचित किया है
  - स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना

(iii) **प्रवर्तन**

- हाल ही में पारित मोटर यान अधिनियम (संशोधन), **2019** में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के अलावा सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
- मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, **2019** के अनुसार गुड समरिटन्स की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश और मसौदा नियम प्रकाशित किए गए हैं।

(iv) आपात देखभाल:

- मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, **2019** में दुर्घटना पीड़ितों का गोल्डन आवर के दौरान नगदीरहित उपचार करने की एक योजना का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूर्ण किए गए गलियारे के टोल प्लाजाओं पर **466** एम्बुलेंस भी तैनात की हैं।

*****